Polity

आयोग के कार्य एवं शक्तियां
[Power & Function of the Commission]

भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति तथा संसद व राज्य विधानमण्डलों के सदस्यों के लिए चुनाव, निर्वाचन आयोग कराता है। चुनाव की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने का दायित्व आयोग का है।

The Election Commission Conducts elections for the president and Vice-president of India for the members of parliament and state Legislatures. The Commission is responsible for ensuring the freedom and fairness of elections.

मतदाता सूची तैयार करना [Preparing voter list]

↳ लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन से पहले मतदाता सूची तैयार की जाती है।

राजनीतिक दलों को मान्यता देना [Recognising political parties]

↳ National Party (राष्ट्रीय दल)
↳ Regional Party (क्षेत्रीय दल)

राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना
[Allocating election Symbols to political parties]

निर्वाचन का संचालन करना [Conducting elections]

चुनाव रद्द करना [Cancellation of election]
↳ जब चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ हो।

आदर्श चुनाव संहिता [Model Code of Conduct]
↳ आचार संहिता → चुनाव की तारीख की घोषणा के दिन से चुनाव के परिणाम (Result) तक राजनीतिक दलों (Political Parties) पर लागू रहती है। इसमें होने वाले चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के नियम कानून बनाए जाते हैं।

चुनाव प्रक्रिया का प्रारम्भ
[Commencement of election process]

भारत में चुनाव प्रक्रिया का प्रारम्भ निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अधिसूचना से होता है।

The election process in India begins with a notification by the president or the Governor,

as the case may be, on the recommendation of the Election Commission.

लोकपाल एवं लोकायुक्त [Lokpal and Lokayukta]

भ्रष्टाचार राष्ट्र का कोढ़ है। भ्रष्टाचार प्रशासन की एक प्रमुख समस्या बन गया है। भ्रष्टाचार को मिटाने और दूर करने के लिए विभिन्न देशों में समय-समय पर अनेक कदम उठाये गये हैं।

Corruption is the leprosy of the nation. Corruption has become a major problem of administration. many steps have been taken from time to time in different Countries to eradicate and remove Corruption.

स्वीडन में सर्वप्रथम 1809 में संविधान के अन्तर्गत, ओम्बुड्समैन की स्थापना की गयी। भारत में ओम्बुड्समैन को लोकपाल के नाम से जाना जाता है।

In Sweden, the first Ombudsman was established under the Constitution in 1809. In India, the Ombudsman is known as Lokpal

भारत में ओम्बुड्समैन के लिए लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1963 में लोक सभा सदस्य श्री लक्ष्मीमल सिंघवी ने किया था। पहला लोकपाल और

लोकायुक्त विधेयक वर्ष 1968 में लोक सभा में पेश किया गया था (लेकिन पारित नहीं हुआ)

In India, the word Lokpal was first used for Ombudsman in the year 1963 by Lok Sabha member Shri Laxmi Mal Sindhvi. The first Lokpal and Lokayukta Bill was introduced in the Lok Sabha in the year 1968.

लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक को राज्य सभा द्वारा 17 दिसम्बर, 2013 तथा लोक सभा द्वारा 18 दिसम्बर 2013 को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के हस्ताक्षर के बाद 1 जनवरी, 2014 से यह कानून के रूप में प्रवर्तित हो गया।

The Lokpal and Lokayuktas Bill was passed by the Rajya Sabha on 17 December 2013 and by the Lok Sabha On 18 December 2013. Thereafter, it came into force as a law from 1 January 2014 after the Signature of president Pranab Mukherjee.

Q⇒ Ombudsman की स्थापना कब, कहाँ ? ⇒ 1809, स्वीडन

Q= लोकपाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब
⇒ 1963, लक्ष्मीमल सिंघवी

Q⇒ पहला लोकपाल बिल कब और कहां पेश ? ⇒ 1968, LS

Q⇒ लोकपाल एवं लोकायुक्त बिल RS पारित ? 17 Dec. 2013

" " " " LS पारित ? 18 Dec. 2013

Q⇒ राष्ट्रपति का हस्ताक्षर ? 1 Jan. 2014

लोकपाल कार्यालय
Lokpal office (केंद्र)

→ 1 लोकपाल
8 अन्य सदस्य

चयन ⇒ Select

चयन समिति (Select Comm.)
(1) प्रधानमंत्री
(2) लोक सभा अध्यक्ष
(3) लोकसभा में विपक्ष का नेता
(4). उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिश
(5) राष्ट्रपति द्वारा नामित विशेष

⇒ भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चन्द्र घोष (S-Court के पूर्व न्यायाधीश

4 सदस्य ⇓ न्यायिक पृष्ठभूमि (Judicial Background)

4 सदस्य ↳ गैर न्यायिक Non-Judicial

→ SC / ST / Females भी हैं

⇒ वर्तमान में लोकपाल ⇒ अजय माणिकराव खानविलकर

→ कार्यकाल (Tenure) ⇒ 5 year's / 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो।

→ त्यागपत्र (Resignation) ⇒ राष्ट्रपति

→ शपथ (Oath) → २ प्रकार ⇒ राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलायी जाती है।

① पद ② गोपनीयता (Secrecy)

लोकायुक्त (Lokayukta)

जिस प्रकार केन्द्र में लोकपाल नामक संस्था का गठन किया गया है उसी प्रकार राज्यों में लोकायुक्त नामक संस्था का गठन करने की व्यवस्था की गयी है।

Just as an institution Called Lokpal has been formed at the Centre, Similarly a provision has been made to from an institution Called Lokayukta in the States.

सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र में 1971 में की गई थी। किसी राज्य का लोकायुक्त राज्य के उच्च न्यायालय का सेवानिवृत न्यायाधीश या राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है।

The first Lokayukta office was established in Maharashtra in 1971. The Lokayukta of a State Can be a retired judge of the High Court of the State or the Chief Justice of the State High Court

1. अध्यक्ष
2. उच्च. सदस्य ⟹ चयन समिति ⇒ CM
 - ⇒ विधानसभा अध्यक्ष
 - ⇒ विधानसभा में विपक्ष का नेता
 - ⇒ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
 - ⇒ राज्यपाल द्वारा नामित विशेष व्यक्ति।
 - 4 सदस्य
 - 4 सदस्य
 - न्यायिक पृष्ठभूमि
 - ↳ गैर न्यायिक
 - SC / ST / females

rojgar with ankit

- कार्यकाल (Tenure) ⇒ 5 वर्ष / 70 वर्ष की आयु
⇒ त्यागपत्र ⇒ राज्यपाल को
⇒ शपथ (२ प्रकार - पद, गोपनीयता) ⇒ राज्यपाल शपथ दिलाते है।